



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय  
 Integrated Regional Office  
 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
 Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
 सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खंड, लोंगवुड  
 CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood  
 शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001  
 Shimla, Himachal Pradesh - 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in  
 दूरभाष/Tel.: 0177-2658285  
 0177-2652541  
 फैक्स/Fax: 0177-2657517

पत्र सं. एफ.सी./एच.पी.बी/02/38/2021/

दिनांक: /12/2021

सेवा में,

नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.)  
 हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैण्ड, शिमला।  
 (Email: [nodalfcahp@yahoo.com](mailto:nodalfcahp@yahoo.com))

विषय: Diversion of 1.3463 ha of forest land in favour of Jal Shakti Vibhag, for the construction of Source Level Augmentation of WSS/ LWSS by providing LWSS from Govind Sagar Lake at Kut Bounger, within the jurisdiction of Bilaspur Forest Division, Distt. Bilaspur, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Water/118984/2021).

सन्दर्भ: नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिंप्र० के पत्रांक एफ.टी. 48-5248 (एफ.सी.ए.) दिनांक 16.11.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए आपको यह सूचित करना है कि प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत निम्नलिखित कमियां पाई गई हैं। अतः राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर अपेक्षित सूचनाएँ प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके :-

1. Water Storage Tank जो Malraon गांव में प्रस्तावित किया गया है वह Dense Forest area में पाया गया है। अतः राज्य सरकार इसकी समीक्षा करें तथा यदि आवश्यक हो तो प्रस्तुत NPV bill में Forest Density अनुरूप संशोधित NPV bill प्रस्तुत करें।
2. Part I, Para B 2.4 में केवल 6 components दर्शाएं गए हैं जबकि file folder के component wise breakup document में 13 components दर्शाएं गए हैं। अतः राज्य सरकार सभी components को Part-I, para B 2.4 में भी अंकित करें।
3. Layout plan का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि P/house के साथ प्रस्तावित 9 S/tank एवं S/tank से target villages में से किसी को भी Water Distribution system के साथ नहीं जोड़ा गया है। P/house से पानी S/tank एवं target villages तक कैसे पहुंचेगा? यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः राज्य सरकार layout plan की पुनः समीक्षा करें और revised layout plan, जो DFO द्वारा सत्यापित हो, तथा जिसमें complete Water Distribution system दर्शाया गया हो, प्रस्तुत करें।
4. Layout plan का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि किसी भी प्रस्तावित segments एवं Distribution system की measurement नहीं दर्शाई गई है। अतः राज्य सरकार संशोधित layout plan, जो DFO द्वारा सत्यापित हो, तथा जिसमें सभी segments, distribution system dimension सहित दर्शाएं गए हों, प्रस्तुत करें।

6. क्योंकि प्रस्ताव में 103 वृक्षों का पातन हो रहा है जो अत्याधिक है। अतः राज्य सरकार प्रस्तावित P/house, S/tank, Rising main, Approach road एवं Distribution systems alignments का पुनः अवलोकन करें तथा यथासंभव alignments को इस तरह प्रस्तावित किया जाए ताकि वृक्षों के पातन को कम किया जा सके। अतः राज्य सरकार revised alignment अनुसार enumeration list of trees इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
7. राज्य सरकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया Administrative Approval Letter प्रस्तुत करें।
8. प्रोजेक्ट से 12795.78 cum muck उत्सर्जित होगा। परन्तु muck उत्सर्जन (muck generated) के सम्बन्ध में detail of measurement संलग्न नहीं है। अतः राज्य सरकार muck उत्सर्जन के सम्बन्ध में निर्धारित proforma में detail of measurement प्रस्तुत करें।
9. प्रस्ताव के साथ Reclamation Plan for dumping sites सलंग नहीं है। अतः राज्य सरकार Reclamation Plan for dumping sites प्रस्तुत करें।
10. Dumping sites पर कितने पेड़ हैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार enumeration list of trees पृथक रूप से प्रस्तुत करें।
11. प्रोजेक्ट का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि Water Distribution system के अधीन जो forest land आ रही है क्या उस forest land को भी diversion area में शामिल किया गया है या नहीं? यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः राज्य सरकार प्रस्तावित प्रोजेक्ट की पुनः समीक्षा करें तथा यदि आवश्यक हो तो, diversion area में सुधार करते हुए उसी अनुरूप संशोधित NPV bill, CA/CA scheme इत्यादि प्रस्तुत करें।
12. प्रोजेक्ट site Shree Naina Devi Ji Conservation Reserve से 2 Km aerial distance पर प्रस्तावित है। अतः राज्य सरकार इस सम्बन्ध में CWLW के comments प्रस्तुत करें।

यदि चाहीं गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

हो/-

(सत्य प्रकाश नेगी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

Encl. No. 10190-91 Dated 22/12/2021

Copy forwarded to:-

1. Executive Engineer Jal Shakti Division Shimla for information and further necessary action. He is requested to attend the observation partain to his office and Send Compliance report.

2. R.F.O. Kand for information and further necessary action. He is requested to attend to the observation raised at Soc. No. 10.812.

